कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 352/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.10.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.10.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना बिलरियागंज: वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.25 को वादिनी ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 08/09/25 को विपक्षी फरहान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी की आपत्तिजनक वीडियों बनाकर इन्स्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया गया, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 294/2025 धारा 79/308(5)/351(3)BNS व 72(a) it act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 01.10.2025 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त फरहान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को मधनापार तिराहे से समय करीब 11.10 बजे मधनापार तिराहे से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 294/2025 धारा 79/308(5)/351(3)BNS व 72(a) it act थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1- फरहान पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास -----

1. मु0अ0सं0 05/2025 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 45/2025 धारा 115(2),126(2),351(2),352 बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 346/2023 धारा 406/506 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2- का0 गौतम खरवार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3- का0 सन्तु साहू थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

02.थाना – रौनापार: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 29.09.25 को वादी बसन्त पुत्र श्री लौटन ग्राम रौनापार (पश्चिम पुरा) थाना रौनपार जनपद ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 28.09.25 को समय 18.30 बजे आरोपी संजीत यादव पुत्र उदयभान यादव साकिन खखरी बलिया थाना गोला जनपद गोरखपुर वर्तमान पता ग्राम रौनापार थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा अपने घर का कुड़ा कचरा वादी के दरवाजे के सामने फेक देना मना करने पर आरोपी द्वारा वादी व वादी पुत्र अभिषेक को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज देना व जान मारने की नियत से लाठी डण्डा से प्रहार कर देना जिससे वादी व वादी के पुत्र अभिषेक के सिर में चोट आने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 372/25 धारा 109/115(2),352 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम संजीत यादव पुत्र उदयभान यादव साकिन खखरी बलिया थाना गोला जनपद गोरखपुर वर्तमान पता ग्राम रौनापार थाना रौनापार आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त संजीत यादव पुत्र उदयभान यादव साकिन खखरी बलिया थाना गोला जनपद गोरखपुर वर्तमान पता ग्राम रौनापार थाना रौनापार आजमगढ़ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक- 30.09.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजीत यादव पुत्र उदयभान यादव साकिन खखरी बलिया थाना गोला जनपद गोरखपुर वर्तमान पता ग्राम रौनापार थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को सुदनीपुर टावर के पास से समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 372/25 धारा 109/115(2),352 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-संजीत यादव पुत्र उदयभान यादव साकिन खखरी बलिया थाना गोला जनपद गोरखपुर वर्तमान पता ग्राम रौनापार थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 श्रीप्रकाश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 सिकन्दर यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

03.थाना- बरदह: अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.10.25 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति समर्थ राय उर्फ अर्पित राय पुत्र सुनील राय उम्र 22 वर्ष ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ ग्राम जैतीपुर से समय 04.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया, बरामदगी के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-समर्थ राय उर्फ अर्पित राय पुत्र सुनील राय उम्र 22 वर्ष ग्राम सोहौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 290/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 473/2023 धारा 308/323/504/506 भा.द.वि. थाना बरदह जनपद आजमगढ़,

2.मु0अ0सं0 351/2024 धारा 115(2)/351(3)/352 बी.एन.एस. थाना बरदह जनपद आजमगढ़,

3.मु0अ0सं0 73/2025 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 पुनित कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2. का0 पंकज यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3.का0 दुर्गेश राय थाना बरदह जनपद आजमगढ़

4.का0 सुनील सरोज थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 01.10.2025, जनपद आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने सैनिक सम्मेलन का किया आयोजन व महिला रिक्रुट आरक्षियों को किया ब्रीफ।

आज दिनांक- 01.10.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में महिला रिक्रूट आरक्षियों का सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन में प्रशिक्षण, दैनिक दिनचर्या एवं भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला रिक्रुट आरक्षियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए स्पोर्ट्स, मेस, कल्चरल प्रोग्राम व ट्रेनिंग आदि के सम्बन्ध में ब्रीफ किया गया।

उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीम चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रतिसार निरीक्षक आजमगढ़ व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहें।

प्रेस नोट, थाना कप्तानगंज

थाना कप्तानगंज क्षेत्र में 'ड्रोन की अफवाह' पर पुलिस ने आमजनमानस को किया जागरूक

दिनांक- 30. 09.25

थाना कप्तानगंज के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने के कारण स्थानीय लोगों में भय और असमंजस की स्थिति बन गई थी। इस अफवाह के कारण कुछ ग्रामीण रातों में जगने और मानसिक रूप से डरे हुए थे।

स्थानीय लोगों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए, थाना कप्तानगंज के थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे द्वारा थाना की पुलिस टीम के साथ ग्राम धनवाखास में गाँव के लोगो को जागरूक किया गया। ग्राम धनवा खास में चौपाल लगाकर कर संवाद: थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे के द्वारा स्वयं गांव के लोगों से बातचीत की और अफवाह की सत्यता की जांच की।

बुद्धिजीवी वर्ग से चर्चा: गाँव के सभ्रात (बुद्धिजीवी/सम्मानित नागरिक), ग्राम के प्रधान और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को एक साथ सम्मिलित कर संवाद स्थापित किया गया। जिसमें श्री गौतम चौबे, ओम प्रकाश मौर्य (ग्राम प्रधान तेरही) सुदेखर चौबे, ओमकार पाण्डेय, दशरथ राम, शिवप्रकाश, राजेस राजभर, जयप्रकाश चौबे, अन्हना पाण्डेय, महातम दूबे, रामनयन राम, राकेश राजभर आदि लोग मौजूद है।

भ्रम की स्थिति और जागरूकता: थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे द्वारा सभी को बताया गया कि ड्रोन उड़ने की खबरें निराधार अफवाहें हैं और ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं की है।

शांति बनाए रखने की अपील: अपील में कहा गया है कि वे असामाजिक तत्व हैं, जो अफवाह फैलाने के मकसद से गांव के भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनके दैनिक जीवन मैं भय माहौल बना रहे है साथ ही, किसी भी अंतिम गतिविधि की सूचना आपातकालीन पुलिस 112 को को देने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि ने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन जनता को भी अफवाहों से बचना की आवश्यकता है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 01.10.2025, जनपद आमजगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने महिला/वादिनी को भरण-पोषण हेतु कुल 10 हजार रूपयें इनके पति के द्वारा वादिनी के खातें में जमा कराया गया

मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत लालती पत्नी अवधेश निवासी-गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ का विवाह अवधेश पुत्र हरदेव निवासी-गाहूखोर गोबरही, थाना रानी की सराय, आजमगढ़ के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था। आवेदिका लालती परिवारिक कलह एवं आपसी मतभेदों के कारण पति से अलग रहने लगी तथा विपक्षी के विरुद्ध मुकदमा नंबर- 142/2006 अंतर्गत धारा-125 सीआरपीसी दाखिल किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए भरण-पोषण का आदेश दिया। विपक्षी द्वारा भरण पोषण न देने पर माननीय न्यायालय द्वारा वसूली वारंट जारी होने पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 के दृष्टिगत वसूली वारंट को पुलिस द्वारा प्रोसेस तामीला करते हुए वादी के खाते में 10,000 रूपये जमा कराया गया तथा 5 विस्वां जमीन पीड़िता को रजिस्ट्री करने के आश्वासन देने के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया।

प्रेस नोट दिनांक: 01.10.2025
जनपद आजमगढ़

🔻सड़क पर चढ़ा शुरूर तो जेल जाओगे जरूर🔻

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में नशेबाजों पर की गई बड़ी कार्यवाही-

➡ आपरेशन सड़क पर सुरूर अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा नशेबाजों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही-

➡ सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले कुल 38 व्यक्तियों को जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने दिए खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश-

🔻जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें वालों पर कारवाई के निर्देश-

🔻"आपरेशन सड़क पर सुरूर" चलाकर पुलिस उतारेगी नशेबाजों के नशा का शुरूर

🔻कार्यवाही के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति किया जा रहा जागरूक

🔻कानून व्यवस्था को मजबूत रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मकसद

🔻नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना व युवा पीढ़ी को इस ज़हर से दूर रखना आजमगढ़ पुलिस का उद्देश्य-

☞शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण) एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में आजमगढ़ पुलिस द्वारा "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें तथा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान लगातार चलाकर शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हाट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी/विधिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।

🔹आजमगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रहीं बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

➡"आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है।

प्रेस-नोट, दिनांक: 01.10.2025
थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

➡ साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत ग्राम टेकमलपुर में चौपाल का आयोजन

माननीय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अक्टूबर माह को *राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह* (National Cyber Security Awareness Month - NCSAM) के रूप में मनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) - नोडल अधिकारी साइबर क्राइम एवं क्षेत्राधिकारी सदर - सहायक नोडल अधिकारी के निर्देशन में दिनांक 01.10.2025 को ग्राम टेकमलपुर, थाना रानी की सराय में साइबर जागरूकता के लिए विशेष चौपाल का आयोजन किया गया।

इस चौपाल के माध्यम से ग्रामवासियों को वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूक किया गया, जिनमें प्रमुखतः निम्नलिखित शामिल रहे:

- डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जी पुलिस, सीबीआई या साइबर अधिकारी बनकर ठगी
- फर्जी मोबाइल एप्स डाउनलोड कराना या लिंक पर क्लिक कराकर व्यक्तिगत जानकारी चुराना
- गिफ्ट/लॉटरी स्कैम
- सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अंजान व्यक्तियों से मित्रता कर धोखाधड़ी
- म्यूल अकाउंट का उपयोग
- फर्जी मोबाइल नंबरों का प्रयोग कर ठगी

चौपाल के माध्यम से साइबर क्राइम थाना टीम द्वारा ग्रामवासियों को इन अपराधों से बचाव हेतु सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर **1930** पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने व साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल **www.cybercrime.gov.in** का उपयोग करने की जानकारी दी गई।

उपस्थित अधिकारीगण:-

- उ0नि0 श्री कलाप कलाधर त्रिपाठी, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
- का0 श्री विशाल यादव, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
- का0 श्री महिपाल यादव, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
- म0का0 श्रीमती प्रियंका गौड़, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
- **➡ यह कार्यक्रम जनपद स्तर पर साइबर अपराधों के विरुद्ध जन-जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा।**

रूट-डायवर्जन

🚓 प्रेस-नोट, जनपद – आज़मगढ़

प्रेषक – यातायात पुलिस, जनपद आज़मगढ़

विषय – दशहरा मेला एवं मूर्ति विसर्जन पर्वों के दृष्टिगत रूट डायवर्जन की व्यवस्था

आगामी **दशहरा मेला एवं मूर्ति विसर्जन** के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने हेतु निम्नलिखित मार्गों पर आज **दिनांक 01/10/2025 से मूर्ति विसर्जन तक** ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

🚫 *निषिद्ध मार्ग – तीन पहिया / चार पहिया व अन्य निजी वाहनों हेतु पूर्ण प्रतिबंधित मार्ग*

1. शहर क्षेत्र (चौक बाजार हेतु यातायात रुट व्यवस्था (तीन पहिया, चार पहिया व अन्य प्राइवेट वाहनों हेतु) -

➡ आवास विकास तिराहा से कोट चौराहा की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ पुरानी बेल तिराहा से शंकर तिराहा की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ शंकर तिराहा से मेन चौक की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ पहाड़पुर तिराहा से मेन चौक की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ पाण्डेयबाजार चौराहा से पुरानी सब्जी मण्डी की तरफ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ पुरानी सब्जी मण्डी चौराहा से चौक की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ जामा मस्जिद तिराहा से सब्जी मण्डी की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ कोट चौराहा से तकिया की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ दलालघाट तिराहा से पुरानी कोतवाली की तरफ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ कालीनगंज तिराहा से मेन चौक की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ काली चौरा तिराहा से हर्रा की चुंगी की तरफ आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
➡ मऊ रोड शंकर जी मूर्ति तिराहा से अन्दर सिधारी बाजार की तरफ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

2. बड़े वाहनों (ट्रक, बस, डीसीएम व अन्य मालवाहक आदि) हेतु यातायात रुट मार्ग -

➡ भंवरनाथ चौराहा से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले बड़े वाहन भंवरनाथ से जुनैदगंज, हाफिजपुर बैठोली तिराहा, हाइडिल चौराहा, नरौली तिराहा होते हुये अपने गंतव्य को जायेगें।

➡ भंवरनाथ चौराहा से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले समस्त प्रकार के बड़े वाहन प्रतिबन्धित रहेगा।

➡ मऊ रोड शंकर जी मूर्ति तिराहा से कोई भी बड़े वाहन अन्दर प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

➡ नरौली तिराहा से शहर क्षेत्र में समस्त प्रकार के बड़े वाहन अन्दर प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

➡ पहलवान तिराहा से हरवंशपुर की तरफ समस्त प्रकार के बड़े वाहन अन्दर प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

3. छोटे वाहन तीन पहिया (ई रिक्शा, आटो रिक्शा, चार पहिया व अन्य प्राइवेट वाहनों हेत रुट मार्ग-

➡ नरौली तिराहा के तरफ से जिन छोटे वाहनों को शहर की तरफ आना है वे वाहन नरौली तिराहा से बवाली मोड़, करतालपुर,

➡ ब्रह्मस्थान, पाण्डेय बाजार चौराहा, पहाड़पुर तिराहा होते हुये अपने गंतव्य को जायेगें।

🔁 आम नागरिकों से अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गों से परहेज करें एवं वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

नोट:-

➡ आपातकालीन सेवाएं (Ambulance, Fire Brigade, Police) इन रूट्स पर निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी।

➡ आवश्यकतानुसार समय-समय पर रूट डायवर्जन में परिवर्तन किया जा सकता है।

जन सहयोग की अपेक्षा के साथ,

प्रेस नोट
थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡ **दिनांक 30.09.2025 को दो विभिन्न घटनाओं में आमजन में भय एवं अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ, जिनके संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई:-**

01. घटना का विवरण:-

दिनांक 30.10.2025 को थाने पर सूचना मिली की एक व्यक्ति **विनोद राजभर, पुत्र स्व. रामबदन राजभर, निवासी सखिया, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र 42 वर्ष,** पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी से नाराज होकर अपने घर के बगल स्थित ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उक्त कृत्य से ग्रामीणों में भय एवं अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस द्वारा काफी प्रयास एवं समझाने-बुझाने के उपरांत उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया।

➡ सार्वजनिक शांति भंग करने एवं आगामी **दशहरा/दीपावली** पर्व पर शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इस दृष्टिगत विनोद राजभर के विरुद्ध **धारा 170/126/135 बीएनएस** के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही कर चालान किया गया।

02.घटना का विवरण:-

थाने पर सूचना प्राप्त हुई की **चंदन गुप्ता, पुत्र श्री कैलाश गुप्ता, निवासी हरिवंशपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र 31 वर्ष,** अपनी पत्नी से आपसी पारिवारिक विवाद के कारण नाराज होकर **काशीराम आवास, रैदोपुर कालीचौरा** स्थित भवन की सबसे ऊँचाई पर चढ़ गया तथा वहां से दहशत फैलाने का प्रयास किया। इस घटना से काशीराम कॉलोनी एवं आसपास के निवासियों में भय एवं अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया।

➡ आगामी **दशहरा/दीपावली** पर्व पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु चंदन गुप्ता के विरुद्ध भी **धारा 170/126/135 बीएनएस** के अंतर्गत चालान किया गया।

➡ **इन घटनाओं से आमजन में यह संदेश गया कि कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं पुनः न हों।**

प्रेस नोट, दिनांक 01.10.2025

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **मिशन शक्ति विशेष अभियान** प्रारंभ किया गया है। **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** का शुभारम्भ **दिनांक 20 सितम्बर 2025** को **शारदीय नवरात्रि** के पावन अवसर पर किया गया।

इसी क्रम में **नवम दिवस दिनांक 01 अक्टूबर 2025** को जनपद **आजमगढ़** में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** तथा पर्यवेक्षण अधिकारी **श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

मुख्य गतिविधियाँ:

01.महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल कार्यक्रम:

➡ जनपद के विभिन्न **मन्दिरों**, **दुर्गा पूजा पण्डालों**, एवं **पंचायत भवनों** में महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को **सरकारी योजनाओं**, **हेल्पलाइन नम्बरों** (1090, 112, 181, 1930 आदि) की जानकारी दी।

➡ **फुट पेट्रोलिंग** के दौरान रूक-रूककर स्थानीय महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा के प्रति सजग किया गया।

02. स्कूल/कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम:

➡ थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले **विद्यालयों और महाविद्यालयों** में महिला बीट अधिकारियों द्वारा छात्राओं को **मिशन शक्ति केन्द्र**, **हेल्पलाइन नम्बर**, **सरकारी योजनाओं**, **महिला संबंधी कानूनों**, एवं **साइबर अपराध** से जुड़ी जानकारियाँ प्रदान की गईं।

03.एण्टी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग:

➡ जनपद के चिन्हित **हॉट-स्पॉट स्थलों** पर सभी **एण्टी रोमियो टीमों** द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की गई, जिससे महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का संचार हुआ।

➡ यह अभियान महिलाओं में **सुरक्षा के प्रति जागरूकता**, **कानूनी जानकारी** और **सरकारी संसाधनों** के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आजमगढ़ पुलिस

दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन 2025 हेतु यातायात रूट चार्ट आजमगढ़

➡ विषय: दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दृष्टिगत शहर में सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु रूट चार्ट

🔎 रूट-1: हाफिजपुर चौराहा, सदर अस्पताल, कोट चौराहा, काली चौराहा मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:-

हाफिजपुर ⟶ सदर अस्पताल ⟶ हर्रा की चुंगी ⟶ कोट चौराहा ⟶ दलाल घाट ⟶ काली चौरा तिराहा ⟶ गांधी तिराहा ⟶ रैदोपुर तिराहा ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

🔎 रूट-2: जुनैदगंज चौराहा, लक्ष्छीरामपुर, पाण्डेय बाजार, पहाड़पुर तिराहा, तकिया, चौक मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:-

जुनैदगंज चौराहा ⟶ लक्ष्छीरामपुर ⟶ पहाड़पुर तिराहा ⟶ तकिया ⟶ पुरानी कोतवाली ⟶ बडादेव तिराहा ⟶ अग्रसेन चौराहा ⟶ घंटाघर ⟶ गिरजाघर ⟶ ठंडी सड़क ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

🔎 रूट-3: भंवरनाथ चौराहा, बवाली मोड़ चौराहा मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:

भंवरनाथ चौराहा ⟶ करतालपुर तिराहा ⟶ बवाली मोड़ ⟶ बन्धा मोड़ ⟶ गिरजाघर चौराहा (दाहिने) ⟶ ठंडी सड़क ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

🔎 रूट-4: रेलवे स्टेशन, पहलवान तिराहा, हरवंशपुर मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

◆ निर्धारित रूट:-

रेलवे स्टेशन ⟶ पहलवान तिराहा ⟶ नरौली तिराहा (बाएं) ⟶ बन्धा मोड़ (बाएं) ⟶ गिरजाघर चौराहा (दाहिने) ⟶ ठंडी सड़क ⟶ शारदा चौराहा ⟶ सिधारी नया पुल होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

🔎 रूट-5: छतवारा तिराहा, हाइडिल चौराहा, मऊ रोड मार्ग की मूर्ति विसर्जन हेतु रूटमार्ग

🔷 निर्धारित रूट:-

हाइडिल चौराहा ⟶ रामलीला मैदान ⟶ सिधारी मार्केट होते हुए होमगार्ड ऑफिस के बगल में मूर्ति विर्सजन स्थल पर पंहुचेगे।

📌 महत्वपूर्ण सूचना:-

- विसर्जन के उपरांत सभी वाहन विसर्जन स्थल से कमिश्नरी तिराहा होते हुए अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे।
- यातायात व्यवस्था में सहयोग हेतु नागरिकगण कृपया निर्धारित रूट का ही प्रयोग करें।
- किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

📕 जिला पुलिस, आजमगढ़ द्वारा जारी

🛑 अपील:-आपका सहयोग ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन की कुंजी है।